फर्द अहकाम

नविन्द्र कुमार बनाम राजस्थान सरकार
[illegible]

यालय

या 203/2022

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
12/6/2024	पत्रावली पेश हुई। वकील अप्रार्थी हाजिर अप्रार्थी अधिवक्ता [illegible] अन्तिम बहस सुनी गई वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली [illegible] [illegible] दाखिल दफ्तर हो उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:07 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद संख्या : 203/2022
निर्णय दिनांक : 12.06.2024

कविन्द्र कुमार चौधरी पुत्र स्व. श्री प्रहलाद राम चौधरी जाति महाजन निवासी मकान नंबर 699, खातीवाडा, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार जयपुर राज.।
श्रीमती मिरियाना जेड़ चौधरी पत्नी स्व. श्री बृजमोहन चौधरी जाति महाजन निवासी मकान नंबर 699, खातीवाडा, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार जयपुर राज., बहैसियत जरिये मुख्तयारनामा खास कविन्द्र कुमार चौधरी पुत्र स्व. श्री प्रहलाद राम चौधरी एवं संजीव चौधरी पुत्र श्री कविन्द्र कुमार चौधरी जाति महाजन निवासी मकान नंबर 699, खातीवाडा, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार जयपुर राज.।
ब्रियान चौधरी पुत्र स्व. श्री बृजमोहन चौधरी जाति महाजन निवासी मकान नंबर 699, खातीवाडा, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार जयपुर राज. बहैसियत जरिये मुख्तयारनामा खास कविन्द्र कुमार चौधरी पुत्र स्व. श्री प्रहलाद राम चौधरी एवं संजीव चौधरी पुत्र श्री कविन्द्र कुमार चौधरी जाति महाजन निवासी मकान नंबर 699, खातीवाडा, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार जयपुर राज. ।

वादीगण

बनाम

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर जरिये सचिव, पता–आवास भवन, जनपथ, ज्योति नगर, लालकोठी, जयपुर, राज.।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत् घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

वादी की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादी संख्या–01 स्वयं, वादीया संख्या–02, के पति तथा वादी संख्या–03 के पिता स्व. श्री बृजमोहन व वादी संख्या–01 के भाई व वादीया संख्या–02 के जेठ व वादी संख्या–03 के ताऊ, कन्हैयालाल की खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नंबर 497 रकबा 0.06 हैक्टे. खसरा नंबर 513 रकबा 0.16 हैक्टे. खसरा नंबर 514 रकबा 0.01 हैक्टे. खसरा नंबर 515 रकबा 0.45 हैक्टे. खसरा नंबर 517 रकबा 0.05 हैक्टे. खसरा नंबर 518 रकबा 0.23 हैक्टे. खसरा नंबर 519 रकबा 0.14 हैक्टे. खसरा नंबर 520 रकबा 0.26 हैक्टे. खसरा नंबर 521 रकबा 0.01 हैक्टे. खसरा नंबर 522 रकबा 0.35 हैक्टे. खसरा नंबर 523 रकबा 0.06 हैक्टे. खसरा नंबर 524 रकबा 0.01 हैक्टे. खसरा नंबर 525 रकबा 0.06 हैक्टे. खसरा नंबर 526 रकबा 0.08 हैक्टे. खसरा नंबर 527 रकबा 0.18 हैक्टे. खसरा नंबर 528 रकबा 0.39 हैक्टे. खसरा नंबर 529 रकबा 0.26 हैक्टे. खसरा नंबर 530 रकबा 0.15 हैक्टे. खसरा नंबर 531 रकबा 0.42 हैक्टे. खसरा नंबर 532 रकबा 0.80 हैक्टे. खसरा नंबर 533 [illegible] 0.01 हैक्टे. खसरा नंबर 550 रकबा 0.47 हैक्टे. खसरा नंबर 551 रकबा 0.35 हैक्टे. खसरा नंबर 552 रकबा 0.67 हैक्टे. खसरा नंबर 553 रकबा 0.25 हैक्टे. [illegible] खसरा नंबर 562 रकबा 0.34 हैक्टे. खसरा नंबर 563 रकबा 0.10 हैक्टे. [illegible] नंबर 564 रकबा 0.15 हैक्टे, खसरा नंबर 565 रकबा 0.15 हैक्टे. खसरा नंबर 566 र[illegible] 0.11 हैक्टे, खसरा नंबर 567 रकबा 0.27 हैक्टे, खसरा नंबर 574 रकबा 0.77 हैक्टे. कुल किता 33 कुल रकबा 8.12 हैक्टे., जो ग्राम बम्बाला पटवार हल्का श्योपुर, भू अभि. नि. क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:07 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

..ा जयपुर राज. में स्थित है। जो राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत् 2061 से 2064 में दर्ज ..अंकित है। उक्त वर्णित भूमि में से भूमि हाल खसरा नंबर 497 रकबा 0.06 हैक्टे, खसरा ..र 517 रकबा 0.05 हैक्टे एवं खसरा नम्बर 566 रकबा 0.11 हैक्टे, कुल किता 03 कुल ..बा 0.22 हैक्टे. जो इस वाद पत्र में वादग्रस्त है को छोड़कर सम्पूर्ण भूमि प्रतिवादी ..या-01 द्वारा क्रमांक 10/83/102 गजट 19 मार्च 1984 को साबिक खसरा नम्बरान के ..सार प्रताप नगर आवासीय योजना के लिए अवाप्त कर ली गई थी जिसकी पालना में ..वादी संख्या-02 द्वारा नामान्तकरण संख्या 56 दिनांक 03.03.2008 को तस्दीक किया .. जिसमें प्रतिवादी संख्या-02 ने गम्भीर त्रुटि करते हुए प्रतिवादी संख्या-01 द्वारा बिना ..प्त वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 497 रकबा 0.06 हैक्टे, खसरा नम्बर 517 रकबा 0. ..हैक्टे एवं खसरा नम्बर 566 रकबा 0.11 हैक्टे, कुल किता 03 कुल रकबा 0.22 हैक्टे. ..भी प्रतिवादी संख्या-01 के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर दिया जिसके कारण .. हाल खसरा नंबर 497 रकबा 0.06 हैक्टे, खसरा नम्बर 517 रकबा 0.05 हैक्टे एवं ..रा नम्बर 566 रकबा 0.11 हैक्टे. कुल किता 03 कुल रकबा 0.22 हैक्टे. वादग्रस्त है, ..स पर वादीगण अपने-अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। वादग्रस्त भूमि हाल खसरा ..र 497 रकबा 0.06 हैक्टे, खसरा नम्बर 517 रकबा 0.05 हैक्टे एवं खसरा नम्बर 566 ..बा 0.11 हैक्टे, कुल किता 03 कुल रकबा 0.22 हैक्टे. के साबिक खसरा नंबर 95, 106 ..ा 113/619 है। जो प्रतिवादी संख्या-01 द्वारा की गई अवाप्ति से मुक्त है, जिसमें वादी ..ख्या-01 का हिस्सा 2/3 है तथा वादीया संख्या-02 एवं वादी संख्या-03 का संयुक्त ..स्सा 1/3 है। क्योकि वादीगण के सहःकाश्तकार कन्हैयालाल ने वादग्रस्त भूमि में अपने ..स्से सहित अपनी सम्पूर्ण चल-अचल सम्पति की वसीयत दिनांक 24.08.1991 को वादी ..ख्या-01 के हक में गवाहान के समक्ष निष्पादित कर दी थी। सहः काश्तकार कन्हैयालाल ..ो मृत्यु दिनांक 22.11.2003 को न्यूयार्क अमेरिका में हो चुकी है जिसके कारण मृतक का ..हिस्सा वादी संख्या-01 के हक में निहित हो चुका है इसलिए उक्त वादग्रस्त आराजीयात में ..ादी संख्या-01 का हिस्सा 2/3 निहित है, तथा वादिया संख्या-02 के पति व वादी ..संख्या-03 के पिता वादग्रस्त भूमि के खातेदार बृजमोहन चौधरी की मृत्यु दिनांक 10 जून ..991 को न्यूयार्क अमेरिका में हो चुकी है और वादिया संख्या-01 व 02 उसके कानूनी ..ारिस है इसलिए वादिया संख्या-02 व वादी संख्या-03 वादग्रस्त भूमि को राजस्व रिकार्ड ..ं अपने नाम घोषणा इन्द्राज दुरूस्ती कराने व स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार है, ..था वादिया संख्या-02 व वादी संख्या-03 में वादी संख्या-01 कविन्द्र कुमार चौधरी व ..संजय चौधरी को अपना मुख्तयार खास नियुक्त कर रखा है इसलिए वादिया संख्या-02 व ..ादी संख्या-03 की ओर से वादी संख्या-01 कविन्द्र कुमार चौधरी व संजय चौधरी ..ुख्तयारखास की हैसियत से दावा प्रस्तुत किया है। वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 497 ..कबा 0.06 हैक्टे, खसरा नम्बर 517 रकबा 0.05 हैक्टे एवं खसरा नम्बर 566 रकबा 0.11 ..हैक्टे, कुल किता 03 कुल रकबा 0.22 हैक्टे. के साबिक खसरा नंबर 95, 106 तथा ..113/619 है, केवल प्रतिवादी संख्या-02 द्वारा नामान्तकरण संख्या 56 दिनांक 03.03.2008 ..में की गई त्रुटि के कारण वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या-01 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज व अंकित है। जिसको दुरूस्त कराने हेतु वादी संख्या-01 द्वारा प्रतिवादी संख्या-01 को कई बार पत्रादि द्वारा पुनः वादीगण के नाम खातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु निवेदन किया जिस पर प्रतिवादी संख्या-01 द्वारा वादी संख्या-01 प्रेषित नोटिस क्रमांकः प 1 (4) भू. अ./464 दिनांक 29.09.2021 कहा गया की राजस्व न्यायालय में अपील कर वादग्रस्त भूमि को ही निरस्त करवाया जा सकता है। प्रशासनिक आदेशो से वादग्रस्त भूमि का नामान्तकरण निरस्त नही किया जा सकता है, इसलिये यह वाद पत्र घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:07 IST
Reason: SelfAttested

उपायुक्त अधिकारी
जयपुर विकास (प्राधिकरण)

वादीगण द्वारा दिनांक 09.06.2022 को धारा 80 सी.पी.सी. 1908 का नोटिस प्रतिवादी
ख्या–02 व प्रतिवादी संख्या–01 को धारा 50 राजस्थान हाउसिंग बोर्ड अधिनियम के तहत
त किया जा चुके है। जो प्रतिवादी संख्या–01 व 02 को प्राप्त हो चुके है, और नोटिस
निर्धारित अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी प्रतिवादी संख्या–01 व 02 द्वारा वादग्रस्त
मि को पुनः वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कराने कोई कार्यवाही नही की
ई है। वाद कारण दिनांक 09–06–2022 को प्रेषित कानूनी नोटिस धारा 80 सी. पी.सी.
08 में निर्धारित अवधि के समाप्त हो जाने से व प्रतिवादी संख्या–01 व 02 द्वारा आज
क इस संबंध में वादग्रस्त भूमि को पुनः वादीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज
रुस्ती कराने के संबंध किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्यवाही नही करने से उत्पन्न
कर निरन्तर जारी है। वादीगण अधिकारी है कि वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 497
कबा 0.06 हैक्टे, खसरा नम्बर 517 रकबा 0.05 हैक्टे एवं खसरा नम्बर 566 रकबा 0.11
क्टे, कुल किता 03 कुल रकबा 0.22 हैक्टे. के साबिक खसरा नंबर 95, 106 तथा
3/619 है, जो उनकी खातेदारी कृषि भूमि है को पुनः राजस्व रिकार्ड में अपने नाम से
स्सेनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करे, राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करावे व
तेवादी संख्या–01 व 02 इसी आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे।

अनुतोष अतएव वाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद बहक
दीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या–01 व 02 निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–
क) वादग्रस्त भूमि वाद वादीगण डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या–01 व 02 किया जाकर
द पत्र में वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 497 रकबा 0.06 हैक्टे, खसरा नम्बर 517
कबा 0.05 हैक्टे एवं खसरा नम्बर 566 रकबा 0.11 हैक्टे, कुल किता 03 कुल रकबा 0.22
क्टे, जिसके साबिक खसरा नंबर 95, 106 तथा 113/619 है जो स्थित ग्राम बम्बाला
टवार हल्का श्योपुर भू. अभि. नि. क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज. है
ो वादी संख्या–01 को हिस्सा 2/3 तथा वादीया संख्या–02 व वादी संख्या–03 को
ंयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 काश्तकार घोषित किया जावे। और इसी हिस्सेनुसार राजस्व
रेकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी संख्या–02 को आदेशित किया जावे।
ख) प्रतिवादी संख्या–01 व 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि बाद रिकार्ड
दुरूस्ती वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 497 रकबा 0.06 हैक्टे, खसरा नम्बर 517 रकबा
.05 हैक्टे एवं खसरा नम्बर 566 रकबा 0.11 हैक्टे, कुल किता 03 कुल रकबा 0.22 हैक्टे.
जेसके साबिक खसरा नंबर 95, 106 तथा 113/619 है में वादीगण के कब्जे काश्त व
उपयोग व उपभोग में बाधा कारित न करे, न अन्य किसी से करावे।

दावा दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया।
तिवादीगण उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार सांगानेर ने वाद का जवाब पेश
केया, तहसीलदार सांगानेर ने अपने जवाब में अंकित किया कि मुताबिक बिन्दु सँख्या 3
ग्राम बम्बाला तहसील साँगानेर साबिक खसरा नम्बर 85,86,87,88 वगै. किता 29 रकबा 32
बीघा 10 बिस्वा छोटेलाल पुत्र तुलसीराम जाति महाजन सा. तहबीलदारों का रास्ता
खातीबाडा जयपुर के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थे जिस ... खसरा नम्बर 497, 513,
514 वगै. किता 33 रकबा 8.12. है. बने थे ... किता 33 रकबा 8.12

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:07 IST
Reason: SelfAttested

मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2061–64 ... है. भूमि जो कि कन्हैयालाल, बृजमोहन, कविन्द्र कुमार पि. ...राय चौधरी जाति महाजन
हि.ब.हि. सा. तहबीलदारों का रास्ता खातीबाडा जयपुर के ... राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी
को जरिये नामा. स. 56 निर्णय दिनांक 3.3.2008 राजस्थान राजपत्र विशेषांक जयपुर मार्च
19,1984 में प्रकाशित तथा न्यायालय विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के भूमि अवाप्ति पत्रांक 2061 दिनांक 31.

उपखण्ड अधिकारी

1988 के वाद संख्या 10/83 (102) के द्वारा खातेदार कन्हैयालाल पुत्र प्रहलाद चौधरी, बृजमोहन पुत्र प्रहलाद चौधरी कविन्द्र कुमार पुत्र प्रहलाद चौधरी के नाम दर्ज खसरा नम्बरान 85,86,87,88 वगै. कुल किता 27 रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा भूमि राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के नाम अवाप्त की गई थी जिसमें खसरा नम्बर 95,106, 113/619 उक्त अवाप्ति में शामिल नहीं थे। उक्त साबिक खसरा नम्बरान 95,106,113/619 के नवीन खसरा नम्बर 497,517,566 बने थे जो कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 56 द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के नाम दर्ज कर दिये गये थे। राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा अपने पत्रांक 41(4) भू.अ./464 दिनांक 29.9.2021 द्वारा भी उक्त खसरा नम्बर 95,106,113/619 को मण्डल की प्रताप नगर आवासीय योजना की अवाप्तशुदा भूमि में अवाप्त नहीं माना है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने उपस्थित होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मय हर्जे खर्चे खारिज फरमाया जावे।

वादीगण ने राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा वादीगण को दिनांक 29.9.2021 को जारी पत्र पेश किया, राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा वादीगण को जारी अपने पत्रांक 41(4) भू.अ./464 दिनांक 29.9.2021 में अंकित किया है कि खसरा नम्बर 95, 106, 113/619 ग्राम बम्बाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर जो कि आवासीय अभियन्ता खण्ड तृतीय जयपुर के पत्रांक 409 दिनाकं 08.09.2021 के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टनुसार मण्डल की प्रताप नगर सांगानेर आवासीय योजना के लिए अवाप्त भूमि में शामिल नहीं है। किन्तु तहसीलदार सांगानेर द्वारा उक्त खसरों की भूमि का नामान्तकरण त्रुटिवश मण्डल के नाम दर्ज कर दिया है। उक्त नामान्तकरण को निरस्त करवाने हेतु राजस्व न्यायालय में अपील दायर कर ही निरस्त करवाया जा सकता है। प्रशासनिक आदेशों से नामान्तकरण निरस्त नही किया जाक सकता।

बहस उपस्थित उभयपक्षकारान पत्रावली में सुनी गयी। दौराने बहस वादीगण अधिवक्ता ने वादग्रस्त भूमि वाद वादीगण डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण संख्या–01 व 02 किया जाकर वाद पत्र में वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 497 रकबा 0.06 हैक्टे, खसरा नम्बर 517 रकबा 0.05 हैक्टे एवं खसरा नम्बर 566 रकबा 0.11 हैक्टे, कुल किता 03 कुल रकबा 0.22 हैक्टे, जिसके साबिक खसरा नंबर 95, 106 तथा 113/619 है जो स्थित ग्राम बम्बाला पटवार हल्का श्योपुर भू. अभि. नि. क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज. है को वादी संख्या–01 को हिस्सा 2/3 तथा वादीया संख्या–02 व वादी संख्या–03 को संयुक्त रूप से हिस्सा 1/3 काश्तकार घोषित किया जावे। और इसी हिस्सेनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी संख्या–02 को आदेशित किया जावे। प्रतिवादी संख्या–01 व 02 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि बाद रिकार्ड दुरूस्ती वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 497 रकबा 0.06 हैक्टे, खसरा नम्बर 517 रकबा 0.05 हैक्टे एवं खसरा नम्बर 566 रकबा 0.11 हैक्टे, कुल किता 03 कुल रकबा 0.22 हैक्टे. जिसके साबिक खसरा नंबर 95, 106 तथा 113/619 है में वादीगण के कब्जे काश्त व उपयोग व उपभोग में बाधा कारित न करें, [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:07 IST
Reason: SelfAttested

बहस उभयपक्षकारान, प्रतिवादीगण की ओर से [illegible] जवाब प्रार्थना पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। [illegible] तहसीलदार सांगानेर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया कि खातेदार कन्हैयालाल पुत्र प्रहलाद राम चौधरी, बृजमोहन पुत्र प्रहलाद राम चौधरी कविन्द्र कुमार पुत्र प्रहलाद राम चौधरी के नाम दर्ज खसरा नम्बरान 85,86,87,88 वगै. कुल किता 27 रकबा 31 बीघा 16 बिस्वा भूमि राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के नाम अवाप्त की गई थी जिसमें खसरा नम्बर 95,106, 113/619 उक्त अवाप्ति में शामिल नहीं थे। उक्त साबिक खसरा नम्बरान 95,106,113/619 के नवीन खसरा नम्बर 497,517,566 बने थे जो कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 56 द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल

उपखण्ड अधिकारी

यपुर के नाम दर्ज कर दिये गये थे। राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर द्वारा अपने ांक 41(4) भू.अ./464 दिनांक 29.9.2021 द्वारा भी उक्त खसरा नम्बर 95,106,113/619 े मण्डल की प्रताप नगर आवासीय योजना की अवाप्तशुदा भूमि में अवाप्त नहीं माना है। तः तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि उक्त खसरा नम्बर 95,106, 13/619 उक्त अवाप्ति में शामिल नहीं थे। तहसीलदार सांगानेर की उक्त रिपोर्ट की धार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार सांगानेर ो आदेश दिये जाते है कि ग्राम बम्बाला पटवार हल्का श्योपुर भू. अभि. नि. क्षेत्र सांगानेर हसील सांगानेर जिला जयपुर राज0 में स्थित वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 497 रकबा 06 हैक्टे, खसरा नम्बर 517 रकबा 0.05 हैक्टे एवं खसरा नम्बर 566 रकबा 0.11 हैक्टे, ल किता 03 कुल रकबा 0.22 हैक्टे, जिसके साबिक खसरा नंबर 95, 106 तथा 3/619 है, को राजस्थान आवासन मण्डल के स्थान पर खातेदार कविन्द्र कुमार पुत्र लाद राम चौधरी, कन्हैयालाल पुत्र प्रहलाद राम चौधरी, ब्रजमोहन पुत्र प्रहलाद राम धरी जाति महाजन हि0 बराबर सा. तहफीलदारों का रास्ता खातीबाडा जयपुर के नाम ान्तकरण दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया जावे।

र्णय आज दिनांक 12.06.2024 खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हिम्मत सिंह)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
जयपुर–द्वितीय (साँगानेर),
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:07 IST
Reason: SelfAttested

अनिनाम

प्रारम्भिक डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी,** सॉगानेर (द्वितीय) मुकाम सॉगानेर जयपुर व इजलास **श्री हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.**

द संख्या : 203/2022

विन्द्र कुमार चौधरी पुत्र स्व. श्री प्रहलाद राम चौधरी जाति महाजन निवासी मकान नंबर 699, खातीवाडा, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार जयपुर राज.।
श्रीमती मिरियाना जेड़ चौधरी पत्नी स्व. श्री बृजमोहन चौधरी जाति महाजन निवासी मकान नंबर 699, खातीवाडा, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार जयपुर राज., बहैसियत जरिये मुख्तयारनामा खास कविन्द्र कुमार चौधरी पुत्र स्व. श्री प्रहलाद राम चौधरी एवं संजीव चौधरी पुत्र श्री कविन्द्र कुमार चौधरी जाति महाजन निवासी मकान नंबर 699, खातीवाडा, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार जयपुर राज.।
ध्यान चौधरी पुत्र स्व. श्री बृजमोहन चौधरी जाति महाजन निवासी मकान नंबर 699, खातीवाडा, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार जयपुर राज. बहैसियत जरिये मुख्तयारनामा खास कविन्द्र कुमार चौधरी पुत्र स्व. श्री प्रहलाद राम चौधरी एवं संजीव चौधरी पुत्र श्री कविन्द्र कुमार चौधरी जाति महाजन निवासी मकान नंबर 699, खातीवाडा, बाबा हरिशचन्द्र मार्ग, चांदपोल बाजार जयपुर राज. ।

वादीगण

बनाम

राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर जरिये सचिव, पता–आवास भवन, जनपथ, ज्योति नगर, लालकोठी, जयपुर, राज.।
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर तहसील कार्यालय सांगानेर जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी, सॉगानेर द्वितीय जयपुर व हाजिरी वकील वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 2 तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि ग्राम बम्बाला पटवार हल्का श्योपुर भू. अभि. नि. क्षेत्र सांगानेर तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0 में स्थित वादग्रस्त भूमि हाल खसरा नंबर 497 रकबा 0.06 हैक्टे, खसरा नम्बर 517 रकबा 0.05 हैक्टे एवं खसरा नम्बर 566 रकबा 0.11 हैक्टे, कुल किता 03 कुल रकबा 0.22 हैक्टे, जिसके साबिक खसरा नंबर 95, 106 तथा 113/619 है, को राजस्थान आवासन मण्डल के स्थान पर खातेदार कविन्द्र कुमार पुत्र प्रहलाद राम चौधरी, कन्हैयालाल पुत्र प्र[illegible] राम चौधरी, ब्रजमोहन पुत्र प्रहलाद राम चौधरी जाति महाजन नि[illegible] बराबर सा[illegible] हर्फ[illegible] ारों का रास्ता खातीबाडा जयपुर के नाम नामान्तकरण दर्ज किया जाकर [illegible] दर्ज किया जावे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 12.06.2024 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:07 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत........ उपखण्ड अधिकारी
ओहदा द्वितीय (सांगानेर)

मुहर

...ई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
...म्प अर्जी दावा ...म्प वकालत नामा ...म्प वह सबूत ...न्ताना वकील ...र्चा गवाहान ...स कमिश्नर ...बत इजराय हुक्मनामा ...तफरिक	1	00	स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	1	00
मीजान			मीजान		

...ोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दी फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये ...खाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2024.09.19 16:38:07 IST
Reason: SelfAttested